



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244380
CG-DL-E-14032023-244380

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]
No. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

सा.का.नि. 183(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 4 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 265 (अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, श्री एच. एन. अस्वथ, विकास सलाहकार (पत्तन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर एतद्वारा श्री संदीप गुप्ता, निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक नवमंगलूर पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2023

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No.G.S.R.265(E) dated 04th April, 2022, the Central Government hereby appoints Shri Sandeep Gupta, Director, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, in place of Shri H.N. Aswath, Development Adviser (Ports), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of New Mangalore Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.